गु0न0:– 29/2024

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर टोडाभीम जिला गंगापुर सिटी

रजू दिनांक:– 28.03.2024

गु0न0 29/2024

पीठासीन अधिकारी:– सुनीता मीना (आर.ए.एस)

उनवान

सविता बाई पुत्री शिवराम जाति कोली निवासी भैसा पट्टी कला तहसील टोडाभीम जिला गंगापुर सिटी।

वादी

बनाम

1. पूजा देवी पत्नि शिवराम
2. हेतराम पुत्र शिवराम
3. मानसिह पुत्र शिवराम
4. हेमा पुत्री शिवराम
5. ईमरती बाई पुत्री शिवराम

   समस्त जातियान कोली निवासीयान भैसी पट्टी कला तहसील टोडाभीम जिला गंगापुर सिटी।
6. तहसीलदार टोडाभीम।
7. उप पंजीयक टोडाभीम।

प्रतिवादीगण

दावा बावत घोषणा, इन्द्राज दुरूस्ती

उपस्थिति:– श्री सुरेश चन्द्र शर्मा एडवोकेट वादी

पेरोकार सरकार तहसीलदार टोडाभीम

निर्णय दिनांक:– 20.08.2024

वादी द्वारा प्रस्तुत वादपत्र का संक्षेप मे विवरण इस प्रकार है कि ग्राम भैसा पट्टी कला आराजी ख0न0 102/0.65, 98/0.76, कुल किता 2 कुल रकवा 1.41 है0 मे वादीया का 1/12 सा जो वादीया का नाम नाबालिग सुफेदी पुत्री शिवराम के नाम दर्ज कर रखा है। तथा 1/36 सा सबिता बाई पुत्री शिवराम वादिया के नाम दर्ज है। इस प्रकार वादीया का हिस्सा 1/9 है हिस्सा 1/9 प्रतिवादी न0 1 पूजा देवी, हिस्सा 5/18 प्रतिवादी न0 2 हेतराम , हिस्सा 5/18 वादी न0 3 मानसिंह, 1/36, 1/12 कुल हिस्सा 1/9 प्रतिवादी न0 4 हेमा व हेमाबाई के नाम है तथा 1/36, 1/12 कुल हिस्सा 1/9 प्रतिवादी न0 5 ईमरती बाई व ईमरती के नाम दर्ज

या व प्रतिवादीगणो का सजरा खानदान निम्न प्रकार है:–

शिवराम पुत्र कन्हैया (फौत)

पूजा देवी (पत्नि)

म (पुत्र)

सिंह (पुत्र)

हेमाबाई

(पुत्री)

ईमरती ई (पुत्री)

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunita Meena
Date: 2024.09.10 11:05:51 IST
Reason: Self-Attested

उपखण्ड अधिकारी टोडाभीम
जिला-गंगापुर सिटी

उनवानः– सबिता बनाम पूजा

मु0न0:– 29/2024

यह है कि वादीया का आधार कार्ड, मार्कशीट, जिसमे पिताजी का नाम शिवराम कोली व माता पूजा देवी का नाम अंकित है। परन्तु विरासत का नामांतकरण दर्ज करते समय वादीया का नाम सविता बाई के स्थान पर सुफैदी दर्ज कर दिया, जो गलत है।

अतःदावा वादीया खिलाफ प्रतिवादीगण डिकी फरमाई जाकर ग्राम भैसा पट्टीकला की आराजी ख0न0 102/0.65, 98/0.76, कुल किता 2 कुल रकवा 1.41 मे दर्ज सुफेदी देवी पुत्री शिवराम हिस्सा 1/12, जाति कोली को हजफ कर इसके स्थान पर सविता बाई पुत्री शिवराम जाति कोली हिस्सा 1/12, 1/36 कुल हिस्सा 1/9 का खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे। तथा प्रतिवादीगण को पाबन्द फरमाया जावे किवे वादीया के उपयोग उपभोग मे मजाहमत मदाखलत नही करे। नही वादीया को बेदखल करे।

दावा दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण ने जरिये वकालतन काउन्टर क्लेम जबाब पेश किया कि वादीया द्वारा वादपत्र मे वर्णित कथन स्वीकार है। प्रतिवादी न0 4 हेमा पुत्री शिवराम हिस्सा 1/36, हेमा बाई पुत्री शिवराम हिस्सा 1/12 के स्थान पर हेमा पुत्री शिवराम जाति कोली हिस्सा 1/9 तथा नाबा0 ईमरती पुत्री शिवराम हिस्सा 1/12 तथा नाबा0 ईमरती पुत्री शिवराम हिस्सा 1/36 के स्थान पर ईमरती पुत्री शिवराम हिस्सा 1/9 दर्ज किया जावे। अतः काउन्टर क्लेम स्वीकार फरमाकर उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड मे अंकन किया जावें ।

पैरोकार सरकार तहसीलदार टोडाभीम ने जबाब पेश किया कि वादपत्र मे वर्णित आराजीया तने सविता बाई पुत्री शिवराम हिस्सा 1/36, नाबा0 सुफेदी पुत्री शिवराम हिस्सा 1/12 दर्ज है सविता व सुफेदी एक ही व्यक्ति है। इनके स्थान पर सबिता पुत्री शिवराम हिस्सा 1/9 तथा इमरती बाई पुत्री शिवराम हिस्सा 1/36 तथा नाबा इमरती पुत्री शिवराम हिस्सा 1/12 के स्थान पर इमरती पुत्री शिवराम हिस्सा 1/9, व हेमाबाई पुत्री शिवराम हिस्सा 1/36, हेमा पुत्री शिवराम 1/12 के स्थान पर हेमा पुत्री शिवराम हिस्सा 1/9 दर्ज किया जाना उचित है।

वादी वकील व पैरोकार सरकार की बहस सुनी गई। वादी वकील ने वादपत्र मे वर्णित तथ्यो का दोहरान करते हुये कथन किया कि वादपत्र मे वर्णित आराजीयात मे सुफेदी देवी पुत्री शिवरान हिस्सा 1/12, जाति कोली को हजफ कर इसके स्थान पर सविता बाई पुत्री शिवराम जाति कोली हिस्सा 1/12, 1/36 कुल हिस्सा 1/9 का खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे।

पैरोकार सरकार ने जबाब/रिपोर्ट मे वर्णित तथ्यो का दोहरान करते हुये कथन किया कि वर्णित आराजीयात सविता बाई पुत्री शिवरान हिस्सा 1/36, नाबा0 सुफेदी पुत्री शिवराम हिस्सा 1/12 दर्ज है सविता व सुफेदी एक ही व्यक्ति है। इनके स्थान पर सबिता पुत्री शिवराम हिस्सा 1/9 तथा इमरती बाई पुत्री शिवरान हिस्सा 1/36 तथा नाबा इमरती पुत्री शिवराम हिस्सा 1/12 स्थान पर इमरती पुत्री शिवरान हिस्सा 1/9, व हेमाबाई पुत्री शिवराम हिस्सा 1/36, हेमा पुत्री शिवरान 1/12 के स्थान पर हेना पुत्री शिवरान हिस्सा 1/9 दर्ज किया जाना उचित है।

वादी वकील व पैरोकार सरकार की बहस पर मनन किया पत्रावली मे शामिल ग्राम भैसा पट्टी कला की आराजी ख0न0 102/0.65, 98/0.76, कुल किता 2 कुल रकवा 1.41 मे वादीया व प्रतिवादीगण मुताबिक जमाबन्दी मे दर्ज हिस्सानुसार खातेदार काश्तकार दर्ज रिकार्ड है। तहसीलदार टोडाभीम ने वादीया द्वारा प्रस्तुत वादपत्र मे [illegible] द्वारा प्रस्तुत काउन्टर क्लेम जबाब मे चाहे गये अनुतोष के अनुरूप शुद्ध किये ज[illegible] का [illegible]ंषा की है। इसलिये उक्त विवेचन अनुसार वादीया का वादपत्र तथा प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत काउन्टर क्लेम स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है।

उपखण्ड अधिकारी टोडाभीम
जिला-गंगापुर सिटी

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunita Meena
Date: 2024.09.10 11:15:51 IST
Reason: SelfAttested

मु0न0:— 29/2024 उनवानः— सबिता बनाम पूजा

आदेश

अतः ग्राम भैसा पट्टी कला की आराजी ख0 न0 102/0.65, 98/0.76, कुल किता 2 कुल रकवा 1.41 मे सुफेदी देवी पुत्री शिवराम हिस्सा 1/12, जाति कोली को हजफ कर इसके स्थान पर सविता बाई पुत्री शिवराम जाति कोली हिस्सा 1/12, 1/36 कुल हिस्सा 1/9 जाति कोली, तथा इमरती बाई पुत्री शिवराम हिस्सा 1/36 तथा नाबा इमरती पुत्री शिवराम हिस्सा 1/12 के स्थान पर इमरती पुत्री शिवराम हिस्सा 1/9, जाति कोली व हेमाबाई पुत्री शिवराम हिस्सा 1/36, हेमा पुत्री शिवराम 1/12 के स्थान पर हेमा पुत्री शिवराम हिस्सा 1/9 जाति कोली दर्ज करने के आदेश दिये जाते है। निर्णय की प्रति तहसीलदार टोडाभीम को तहरीर के साथ पालनार्थ भिजवाई जावे।

निर्णय आज दिनांक 20.08.2024 को खुले न्यायालय मे लिखाया जाकर सुनाया गया।

(सुनीता मीना)
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर
टोडाभीम जिला गंगापुर सिटी

Signature Not Verified

Digitally signed by Sunita Meena
Date: 2024.09.10 11:15:51 IST
Reason: SelfAttested